(6) नबार्ड और सिडबी के वित्तीय सहयोग से नए खादी भंडारों/भवनों की स्थापना जिससे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के लिए रास्ते खुल सकें ताकि इन्हें उत्पादकों के घर तक पहुंचाया जा सके ।

(7) नए संस्थानों में भर्ती के लिए कार्यविधि का सरलीकरण; रुग्ण और समस्या ग्रस्त संस्थानों का पुनरुज्जीवन और सक्रिय सहयोग के लिए राज्य स्तर की फैडरेशनों की स्थापना, इत्यादि ।

इसके अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी उत्पाद विकास केन्द्रों, गारमेन्ट उत्पादन केन्द्रों और खादी निर्यातोन्मुख एककों के विकास का भी प्रस्ताव है ।

देश में कागज मिलें

674. **श्री अजीत जोगी :**
श्री विठ्ठलराव माधवराव गाधव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य वार कागज मिलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन मिलों की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है और 1990-91 के वर्ष के दौरान इन मिलों ने कितना-कितना उत्पादन किया;

(ग) जो मिल अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कागज उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कागज मिलों की राज्यवार संख्या और उनकी अधिष्ठापित क्षमता का एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) वर्ष 1990-91 में देश में कागज और गत्ते के उत्पादन की मात्रा 19.58 लाख मी. टन थी ।

(ग) सरकार अलग-अलग कागज मिलों के लिए कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं करती ।

(घ) कागज उद्योग की सतत् प्रगति के लिए सरकार ने कई नीतिगत उपाय किए हैं और कागज मिलों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए हैं :—

(1) जिन कागज मिलों में इस्तेमाल होने वाली लुगदी का 75% भाग सोई कृषि के अवशिष्ट पदार्थों और अन्य गैर-पारम्परिक कच्चे माल से बनता है उन्हें अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है बशर्ते कि स्थापना स्थल के दृष्टिकोण से वे अनापत्ति पत्र प्राप्त कर लें ।

(2) कम से कम 75% तक कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि सोई, जूट तथा अन्य गैर-पारम्परिक कच्चा माल इस्तेमाल करने वाली कागज इकाइयों को उत्पादन शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है ।

(3) कम से कम 50% तक कृषि अवशिष्ट पदार्थ और गैर-पारंपरिक कच्चा माल प्रयोग करने वाले कागज मिलों से उत्पादन शुल्क रियायती दरों पर लिया जाता है ।

(4) "एक्सिम" नीति के अधीन आयात लाइसेंस लिए बिना ही सीमा शुल्क की दरों पर लकड़ी की लुगदी और रद्दी कागज का आयात निर्बाध रूप से किया जा सकता है ।

विवरण

क्षेत्र	एककों की सं०	वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता (मी० टनों में)	योग
उत्तरी क्षेत्र :			
उत्तर प्रदेश	58	3,11,845	
हरियाणा	17	1,49,610	
पंजाब	17	1,37,830	
राजस्थान	9	43,350	
हिमाचल प्रदेश	13	49,400	
चंडीगढ़	1	3,000	
जम्मू एवं कश्मीर	1	3,300	6,98,335
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	18	4,10,641	
कर्नाटक	15	1,93,370	
तमिलनाडु	21	2,05,135	
केरल	3	39,350	
पांडिचेरी	1	9,000	8,57,496
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	45	2,74,334	
महाराष्ट्र	52	4,67,730	
मध्य प्रदेश	15	1,81,450	9,23,514
पूर्वी क्षेत्र			
पश्चिम बंगाल	21	2,38,630	
बिहार	8	91,500	
उड़ीसा	7	2,13,572	
असम	4	2,28,000	
नागालैण्ड	1	23,000	8,04,702
कुल योग :	327		32,84,047